सं०–562

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमहार्त्ता, बुण्डू (राँची)

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

जिला–.........राँची...................., दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–.........59..................सन्–....2019–20...........।

वाद का प्रकार–बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा–7 के तहत दाखिल खारिज अपील वाद।

अर्जीकार–भरत साहु बनाम प्रतिपक्षी–अंचल अधिकारी, बुण्डू।

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी टिप्पणी तारीख सहित
30-09-2020	**आदेश** अपीलार्थी–भरत साहु, वो लक्ष्मण साहु, पे०–स्व० जीतु साहु, सा०–पुराना बाजार टोली, बुण्डू, पो०+थाना–बुण्डू, जिला–राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अंचलाधिकारी, बुण्डू के द्वारा नामांतरण मुकदमा सं०–542 R27/2018-2019/बुण्डू में दिनांक–19.03.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर किया है। जिसके द्वारा निम्नलिखित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया गया। भूमि विवरणी मौजा: बुण्डू; थाना: बुण्डू; थाना सं०: 28; खाता सं०: 340; खेसरा सं०: 1838; रकवा: 272 वर्ग फीट चौहदी:–उ०–रास्ता, द०–निमाय चन्द्र देय, पू०–खरीददारण, प०–फुलमनी देवी। अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर सुनवाई हेतु इस अपील वाद को ग्रहण किया गया। अपीलार्थी द्वारा समर्पित निम्न न्यायालय के नामांतरण मुकदमा सं०–542 R27/2018-2019/बुण्डू का अस्वीकृति की सूचना की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अंचलाधिकारी, बुण्डू के प्रतिवेदनानुसार सुनवाई की तिथि को आवेदक द्वारा मूल कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस स्थिति में नामांतरण अस्वीकृत किया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल किए गए दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है एवं अंचलाधिकारी, बुण्डू द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए उन्हें इस निदेश के साथ प्रतिप्रेषित (REMAND) किया जाता है कि अपीलार्थी को पुनः सुनकर उनसे आवेदित भूमि से संबंधित मूल कागजात प्राप्त करते हुए नए सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश की प्रतिलिपि को अंचल अधिकारी, बुण्डू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित। ह०/- 30/09 ह०/- 30/09 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बुण्डू(राँची)।	